pan>

Title: Need to give arrears to sugarcane farmers in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने शून्य पूहर में लोक महत्व के एक सुनिश्चित पूश्न को उठाए जाने की अनुज्ञा पूदान की है।

आज देश के सभी राज्यों में किसानों के पास नगदी फसल के रूप में गन्ने की फसल है। इसके बाद कपास, सेरीकल्चर और हार्टिकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। आज किसान अपनी उस नगदी फसल से हुई आमदनी से अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उत्तर पूदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड आदि राज्यों में गन्ने की फसल किसानों की नगदी फसल है। इस गन्ने की फसल से पूाप्त हुई पर्चियों के माध्यम से हुई आय से ही किसान अपने बेटे की हायर एजुकेशन की फीस देता है, इस फसल की आमदनी से ही वह किसान अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। इसी आमदनी से वह किसान अपने घर के किसी बुजुर्ग की बीमारी का एम्स या अन्य अस्पतालों में इलाज करवाता है। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर पूदेश में पिछले दो वÂर्षों से इस गन्ने की फसल का भुगतान नहीं हुआ है। किसानों का पिछले साल के गन्ना मूल्य का 14 पूतिशत, लगभग 1975 करोड़ रुपया आज भी चीनी मिलों पर बकाया है। 1600 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य केवल उत्तर पूदेश की चीनी मिलों पर बकाया है। इनमें बजाज, मवाना, मोदी, सिंभावली और राणा की चीनी मिलें शामिल हैं। इंडियन शुगरकेन कंट्रोल एक्ट के अनुसार यदि 15 दिनों के अंदर चीनी मिलें किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी, तो वे उन किसानों को उस मूल्य के अतिरिक्त 10 पूतिशत ब्याज देने के लिए बाध्य होंगी। किसानों का ब्याज के रूप में करीब 2 हजार करोड़ रुपया इन चीनी मिलों के ऊपर बना, लेकिन उत्तर पूदेश की मौजूदा सरकार ने उन किसानों के इस ब्याज को कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक में माफ कर दिया।

चीनी मिल मालिकों के पक्ष में सरकार ने फैसला लिया जो किसानों की गाढ़ी कमाई की मेहनत थी, उनके खून-पसीने की कमाई थी, उनेक गन्ने की कीमत और उसके ब्याज का जो पैसा बनता था, वह चीनी मिलों को न देना पड़े, इस तरह का मंतिूपरिÂषद का फैसला हुआ। जिसमें एक किसान संगठन कोर्ट गया तो फिर कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि किसानों को ब्याज देना चीनी मिलों की बाध्यता होगी। इसके बावजूद भी आज भी उन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की कीमत बाकी है और आज भी सरकार ने कोई उपाय नहीं किया है। अभी उत्तर पूदेश के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव की मतगणना कल होगी और उस चुनाव में सभी पार्टियां और पार्टियां और सरकार में जिस उत्तर पूदेश सरकार का दायित्व था कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराए, लेकिन उसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। मुझे खुशी है, मैं तो आभार व्यक्त करूंगा कि आज उत्तर पूदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पतू में कहा कि यदि उत्तर पूदेश में हमारी सरकार आएगी तो जिस दिन किसान गन्ना देगा तो चीनी मिलों को 14 दिन बाद गन्ना मूल्य का किसानों के खातों में भुगतान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि शायद यह पहली आने वाले दिनों में किसानों को उनकी मेहनत की कमाई का 14 दिन के अंदर भुगतान होगा। आज 14 दिन तो दूर की बात पूरे एक-एक साल, दो-दो साल से मैं पूरे देश की बात करना चाहता हूं, खासतौर से उत्तर पूदेश की बात करना चाहता हूं कि उन किसानों का लगभग 6 हजार करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बाकी है। पिछले साल का भी 2016-17 का जो मैंने बताया कि 1975 करोड़ रुपया और उससे पहले वÂर्ष 2015-16 का भी 375 करोड़ रुपया बाकी है। आज देश में सबसे ज्यादा गरीब तबका किसान है। किसानों का जो पिछले दो वÂर्षों का गन्ना मूल्य है, एक अत्यंत लोक महत्व का सुनिश्चित पूश्न है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो मॉनीटरिंग कर रही है, वह इसके लिए राज्य सरकार को निर्देशित करे।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Sharad Tripathi is allowed to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.